न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 02/2012

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1. घनश्याम
2. मुकुटबिहारी पुत्रगण मदनलाल
3. रामबाई
4. कौशल्याबाई
5. रूकमणी पुत्रियां मदनलाल
6. कंचनबाई बेवा मदनलाल जातिगण मीणा निवासीगण देवपुरा (सोरसन) तहसील अन्ता जिला बारां (अप्रार्थी)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री संजय नागर, अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 04.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्राथीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 410/218 रकबा 0.32 है. किस्म बारानी 2 वाके ग्राम देवपुरा तहसील–अन्ता राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2015–2024 में खसरा नम्बर 126 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2044–63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 218 रकबा 1.35 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु. तलाई की किस्म बारानी 2 दर्ज कर दी। जिसमें से 0.32 है. भूमि अप्रार्थीगण के पिता/पति को दिनांक 30.01.1983 को आवंटित हुई। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण के पिता/पति को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी. बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.26 11:15:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004

अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण के अभिभाषक को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3— हमने बहस उभयपक्ष सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम देवपुरा की आराजी साबिक खसरा नम्बर 126 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य नवीन खसरा नंबर 218 रकबा 1.35 है. कायम कर उक्त आराजी की किस्म बारानी 2 दर्ज कर दी। जिसमें से दिनांक 30.01.1983 को 0.32 है. भूमि अप्रार्थीगण के पिता/पति को आवंटित होकर अप्रार्थीगण के पिता/पति के खाते दर्ज हुई। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु. तलाई थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 410/218 रकबा 0.32 है. बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म बारानी 2 दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता/पति को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 410/218 रकबा 0.32 है. वाके ग्राम देवपुरा की किस्म बारानी 2 है जो तलाई के स्वरूप में स्थित नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में ख्याल चाल तलाई की श्रेणी में नहीं है ओर वर्तमान स्थिति में बिल्कुल समतल जमीन है जहां पर पानी [illegible] नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। उक्त [illegible] से बाहर जाकर की है अप्रार्थी भूमिहीन काश्तकार [illegible] अप्रार्थीगण के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, मांगरोल द्वारा 35—40 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.26 11:15:44 IST
Reason: SelfAttested

जबकि उक्त आवंटन/नियमन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

5— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज है, जिसका अप्रार्थीगण के पिता/पति को आवंटन/नियमन किया गया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 218 रकबा 1.35 हैं किस्म बारानी 2 बने है, जिसमें से 0.32 है. भूमि अप्रार्थीगण के पिता/पति को आवंटित हुई तथा मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2067–70 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पिता/पति को जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज होना खतौनी बन्दोबस्त संवत 2015–24 से प्रमाणित है, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता/पति को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, अन्ता का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम देवपुरा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 410/218 रकबा 0.32 है0 किस्म बारानी 2, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 126 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई से बना है जिसका अप्रार्थीगण के पिता/पति को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार अन्ता को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.26 11:15:44 IST
Reason: SelfAttested

8— तहसीलदार, अन्ता को [illegible] निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित/नियमन आराजी [illegible] खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का [illegible] राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 04.07[illegible]22 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)